न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 के तहत

वाद सं0–एम० 71/2022

दमयन्ती कुमारी बनाम दीपक कुमार महतो

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3
09-06-2022	प्रस्तुत वाद में धारा–107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी राहे ओ.पी. के अप्राथमिकी संख्या– 04/22 दिनांक 26/03/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुर्गा को लेकर दोनों पक्षों में मार–पीट, गाली–गलौज करने के कारण विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द० प्र० सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/– (पचास हजार) रू0 मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 25-06-2022 को उपस्थापित करें। 09/06 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू।	

अनुसूची 14 — फारम सं० 563
Schedule-14 Form No.-563

पृष्ठ संख्या—(04)

आदेश की क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate	आदेश पर कार्रवाई ... Action ta... order with ...
26-12-2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष उपस्थित। द०प्र०सं० की धारा-116(06) के अनुसार धारा-107 की अवधि छः (06) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा छः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनो पक्षों में शांति बने रहने तथा संबंधित थाना द्वारा भी निर्धारित तिथि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में, वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को सूचित करें। 26/12/22 कार्य० दं०अ० कुण्डू।	

1

01

29.

12-C

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.15 16:45:31 +05:30
Location: 10.93.79.5